राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील/एल.आर./12274/2003/जयपुर
(2) अपील/एल.आर./12277/2003/जयपुर

श्रीमती मंगली पत्नी रघुनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम गुढाचक तहसील बस्सी जिला जयपुर

....अपीलांट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र मांग्या (दौराने अपील मृतक)
1/1. डूंगरसी
1/2. किशोर
पुत्रान गिरधारी समस्त जाति मीणा निवासी ढाणी धावाली ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ, जयपुर

2. मूलचंद पुत्र मांग्या (दौराने मृतक अपील)
2/1. प्रभाती बेवा मूलचंद (नाम हजफ)
2/2. रामजी
2/3. मंगल
2/4. लालाराम
पुत्रान मूलचंद, समस्त जाति मीणा निवासीयान ढाणी धावाली ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर

3. नंदा पुत्र मांग्या (मृतक)
3/1. पप्पूलाल पुत्र नंदा जाति मीणा निवासी ढाणी धावाली ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर
3/2. माया पत्नी श्रवण
3/3. ममता पत्नी कृष्ण
पुत्रीयान समस्त जाति मीणा निवासीयान ढाणी धावाली ग्राम हरिकिशनपुरा (नायला) तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर
3/4. काली पत्नी काना पुत्री नंदा जाति मीणा निवासी ग्राम बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

4. लाल्या पुत्र चंदा
5. ग्यारसा पुत्र चंदा
6. नहनू पुत्र बख्शा
7. मु.सुन्दी बेवा बख्शा (नाम हजफ)
8. श्रीमती कल्याणी देवी पत्नी गोपाल मीणा
9. छाजू
10. लक्ष्मण
11. रतनलाल
पुत्रान गोपाल मीणा, नाबालिग, बविलायत श्रीमती कल्याणी माता खुद
12. रेवड पुत्र काल्या
13. प्रभात पुत्र काल्या
समस्त जाति मीणा निवासी ढाणी धावाली ग्राम हरिकिशनपुरा

(नायला) तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री एन.के.जैन, अभिभाषक अपीलांट
श्री शिवसिंह एवं श्री रघुवीर सिंह, अभि0 रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय **दिनांक 15–10–2018**

1. यह दोनों अपीलें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 7–10–2003 को छः अपीलों में, जिनके क्रमांक 31/2002 से 36/2002 हैं, पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम रानियावास तहसील जमवारामगढ के खसरा नंबर 93/1 से 93/22 कुल किता 22 रकबा 12 बीघा एवं ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नंबर 398 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 421 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बरान 374, 404, 410 व 446 कुल किता कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित है। खसरा नंबरान 93/1 से 93/22 एवं खसरा नंबरान 374, 404, 410 व 446 में कजोड पुत्र नानगा का 1/3–1/3 हिस्सा था तथा खसरा नंबर 398 व 421 की उक्त भूमि में उसका 1/20 हिस्सा था। कजोड पुत्र नानगा की दिनांक 27–10–1972 को मृत्यु हो जाने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों ने नामान्तरकरण संख्या 27 एवं 197 नंदा, गोपाल, गिरधारी, मूलचन्द, नहनू, सुन्दरी, लाल्या व ग्यारसा के पक्ष में दिनांक 4–8–99 को स्वीकार किये थे, जिनके विरूद्ध मंगली ने उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 26–6–2000 को इस आधार पर स्वीकार की गई कि ग्राम पंचायत ने 45 दिनों की अवधि के पश्चात अवैध निर्णय किया है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों नामान्तरकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को रिमाण्ड कर दिये। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 16–7–2002 को एक

ही आदेश के द्वारा मृतक कजोड का विरासतन नामान्तरकरण उसकी सगी बहिन मंगली के नाम स्वीकार कर दिया। उस आदेश को नंदा पुत्र मांग्या मीणा ने अपील संख्या 32/02 से 34/02 तथा रेवड आदि कुल 13 व्यक्तियों ने अपील संख्या 31/02, 35/02 व 36/02 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां चुनौती दी थी। दिनांक 7–10–2003 को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी छः अपीलों को एक ही निर्णय के द्वारा निर्णित करते हुए तहसीलदार, जमवारामगढ का आदेश दिनांक 16–7–02 व नामान्तरकरण संख्या 27 व 197 निरस्त कर दिया। इसके साथ यह भी आदेश दिया कि चूंकि वादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर पक्षकारान में राजस्व वाद लम्बित है इसलिए उसके निस्तारण तक नामान्तरकरण की प्रोसिडिंग को स्थगित रखा जाता है और नामान्तरकरण में मृतक कजोड के इन्द्राज यथावत रखे जावें। इस निर्णय को श्रीमती मंगली देवी ने इन दोनों अपीलों के माध्यम से चुनौती दी है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि कजोड निसंतान मरा था। रेस्पोडेन्ट्स का कजोड से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए तहसीलदार ने नामान्तरकरण उसकी सगी बहिन मंगली अपीलांट के पक्ष में सही रूप से स्वीकृत किया था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने उस आदेश को निरस्त करके अवैधानिकता की है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने ग्राम हरिकिशनपुरा में अवस्थितजिस नियमित वाद के विचाराधीन होने का तथ्य अंकित किया है, उसमें मंगली देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अब उस वाद की जानकारी होने पर मंगली देवी ने भी उसमें पक्षकार बनने की दरख्वास्त आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर दी है। रानियावास में अवस्थित भूमि का कोई राजस्व वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा वह भूमि तो मंगली देवी के ही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उनकी यह भी दलील है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने एक तरफ तो तहसीलदार, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 16–7–02 को अपास्त कर दिया है तथा दूसरी तरफ नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की प्रक्रिया को स्थगित रख दिया है। इस प्रकार उक्त निर्णय परस्पर विरोधाभासी है। अतः उक्त

निर्णय को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, जमवारामगढ का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया है कि आक्षेपित निर्णय एकदम सही है। राजस्व वाद में ही पक्षकारान के अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण होना है। वैसे भी छः प्रथम अपीलों में प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध केवल दो ही अपीलें पेश की गई हैं इसलिए भी इन दोनों अपीलों में अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि अपीलांट उक्त निर्णय से व्यथित थी तो उसे छः पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थी। अतः निवेदन किया है कि अपीलें खारिज की जाए।

6. उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय के विरूद्ध छः पृथक–पृथक अपीलें प्रथम अपीलीय न्यायालय में पेश हुई थी तथा अपीलांट ने उस निर्णय से खुद को व्यथित महसूस करते हुए मात्र दो अपीलें इस बोर्ड के समक्ष पेश की हैं। अपीलांट को चाहिए था कि वह उक्त निर्णय के विरूद्ध पृथक–पृथक छः अपीलें प्रस्तुत करती। उसके द्वारा दो अपीलें प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय बनता है कि उसने छः में से किन्हीं चार अपीलों में पारित निर्णय को चुनौती नहीं दी है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मात्र दो अपीलें पोषणीय नहीं हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई. आर. 1993 एस. सी. 120 प्रीमियर टायर लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तथा माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा गिरिजा वगैरहा बनाम राजन वगैरहा आर. एस.ए. 14/2015 में दिनांक 28–1–2015 को पारित सिद्धांतों का अवलम्ब लिया जा सकता है।

8. इसके अलावा नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल 'फिसकल उद्धेश्यों' के लिए की जाती है। इससे उस पक्ष को जिसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और ना ही उस पक्ष को जिसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया हो, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इस संबंध में ए.आई.आर. 1926 पी.सी. 100

ठाकुर निर्माण सिंह बनाम ठाकुर लाल रूद्र प्रताप नारायण, 1997 (7) एस.सी.सी 137 बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह, 2005 (4) एस.सी.सी. 245 कलकत्ता म्यूनिसिपल कारपोरेशन बनाम श्रेय मर्केन्टाइल प्रा0लि0 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस ऑबजरवेशन के साथ अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है कि पक्षकारान के हितों का अंतिम निस्तारण राजस्व वाद में ही किया जाना है। कोई भी पक्षकार स्वयं को पीडित महसूस नहीं करे इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि राजस्व वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की स्थिति को मृतक कजोड के इन्द्राज की हद तक ही यथावत रखा जावे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपीलों में कोई बल नहीं है। इसलिए दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

9. लिहाजा यह दोनों अपीलें खारिज की जाती है। चूंकि पक्षकारान लम्बे समय से कजोड की सम्पत्ति को लेकर मुकदमेबाजी कर रहे हैं इसलिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को निर्देश जारी किये जावे कि पक्षकारान के मध्य ग्राम हरिकिशनपुरा में अवस्थित वादग्रस्त भूमि को लेकर विचाराधीन वाद को एक वर्ष के भीतर निर्णित करने का प्रयास करें। जहां तक ग्राम रानियावास में स्थित भूमि का प्रश्न है, उस संबंध में भी पक्षकारान यदि चाहें तो नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत करके अपने हकूकों का निस्तारण करवा सकते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य